



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222]  
No. 222]

नई दिल्ली, सोनवार, अक्टूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1908  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1986/ASVINA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

## वार्षिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

वार्षिक सूचना सं. 19 ई टी सी (पी एन)/86

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1986

विषय :— 1-1-87 से 31-12-87 तक संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन और नार्वे को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत कुछ कपड़ों और/या सूत ऊन और मानव निर्मित धातों से तैयार मर्दों के निर्यात के लिये स्कीम ।

फा. सं. 2/65/85-ई-1 स्कीम :— यह स्कीम 1-1-87 से 31-12-87 तक की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेनिक्स, यू. के., आयरलैंड, डेनमार्क और ग्रीस, स्पेन तथा पुर्तगाल) आस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन और नार्वे को कुछ कपड़ों और/या सूत, ऊन और मानव निर्मित धातों के तैयार मर्दों के निर्यात से संबंधित है ।

2. स्कीम के प्रशासन के लिए प्राधिकरण :— 2(1) जब तक अन्यथा रूप से विदेश न दिए जाएं, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्स-प्रोमिस) सभी वस्त्रों और तैयार वस्तुओं के लिए निर्यात हकदार का प्राबंठन करेगी किन्तु ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुओं को छोड़कर जिनकी निर्यात हकदारी का प्राबंठन ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (इस्यु एण्ड इन्स्यु ई पी सी) द्वारा किया जाएगा । लेकिन सभी वस्त्र और तैयार वस्तुएं जिनमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुएं भी शामिल हैं के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध हैं । सरकार का यह प्राधिकार होगा कि वह जिस उचित समझे, इस योजना के प्रशासन के लिए प्राधिकरणों के संबंध में परिवर्तन कर सकती है ।

2(2) निर्यात हकदारों का प्राबंठन केवल सत्रम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत निर्यातकों को ही किया जाएगा ।

3. मात्रा प्राबंठन की प्रक्रिया और प्राबंठन वर्ष का विभाजन-निर्यात के लिए मात्रा के प्राबंठन की तीन पर्यायों होंगी :— (13) वार्षिक स्तर के 40 प्रतिशत का प्राबंठन भूतकालीन निष्पादन के आधार पर किया

जाएगा और 40 प्रतिशत का पहले आए सो पहले पाए संबिधा आरक्षण के आधार पर और 20 प्रतिशत पहले आए सो पहले पाए तैयार वस्त्र के आधार पर ।

3(2). भूतकालीन निष्पादन पद्धति के मामले में 1-1-1987 से 30-9-1987 तक की एक एकल आर्बंटन अवधि होगी । पहले आए सो पहले पाए संबिधा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए तैयार वस्त्र पद्धति के मामले में वर्ष का विभाजन चार मास की तीन अवधियों अर्थात् 1-1-87 से 30-4-1987, 1-5-1987 से 31-8-1987 और 1-9-87 से 31-12-1987 में किया जाएगा ।

3(3). पहले आए सो पहले पाए संबिधा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए तैयार मास पद्धति के अधीन उपलब्ध मात्रा का 50 प्रतिशत प्रथम अवधि जनवरी/फ़रवरी 1987 के दौरान लदान के लिए आवंटित किया जाएगा और 25 प्रतिशत की दूसरी अवधि मई/जून 1987 के दौरान लदान के लिए आवंटित किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत तृतीय अवधि सितम्बर/दिसम्बर 1987 के लिए आवंटित किया जाएगा । लेकिन, उपर्युक्त अवधियों और/या पद्धतियों-वार अनुपातों को, मास की प्रवृत्ति और अन्य पैरामीटरों के आधार पर सरकार द्वारा आशोधित किया जा सकता है ।

4. खण्ड के लिए आरक्षण :—जहाँ पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे की निर्यात हकदारी मिश्रित की जाती है, ऊनी और संश्लिष्ट मात्राओं के लिए आरक्षण विशेष मात्राओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा । वस्त्र प्रानुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत वर्ष के पैटर्न और चार वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों द्वारा पक्की जहूरतें प्राप्त करने के बाद किया जाएगा ।

5. भूतकालीन निष्पादन हकदारी प्रणाली (1) हकदारियों का निश्चय करने के लिए एजेंसी :—प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन योजना के अधीन हकदारों की गणना करने के लिए एजेंसी सूची वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) होगी । वस्त्र आयातक इस संबंध में किया विधियां निर्धारित करेंगे और टैक्सप्रोसिल के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे ।

(2) निर्धारित अवधि और उच्चतम सीमा—हकदारी का निश्चय प्रत्येक निर्यातक के लिए 1984-85 और जनवरी/जून 1986 के दौरान किए गए निर्यातों के अंततः के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के लिए यथा अनुपात किया जाएगा । आवंटन यथातुपात के आधार पर किया जाएगा । लेकिन कोई भी निर्यातक प्रत्येक श्रेणी/देश में आधार अवधि में अपने वार्षिक अंततः निर्यात से अधिक के लिए हकदार नहीं होगा ।

(3) निष्पादन बाण्ड—भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता प्राप्त करने वाले निर्यातकों को निष्पादन बाण्ड भरे बिना ही 31-3-1987 तक अपनी हकदारी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

(4) निर्यातकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे 31-3-1987 तक उपर्युक्त हकदारियों को अर्पणित कर दें या उन्हें ऐसी मात्रा रखने की अनुमति दी जाएगी जो वे 31 मार्च, 1987 से पहले या इस तिथि को 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर बैंक गारंटी या नकद निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बाण्ड देकर रखने की इच्छा करें और जिन मामलों में यूनिट या आर्बंटन किलो ग्रामों में ही जहाँ यह दर ₹/ईसी देशों की व्हालों के लिए 24 पैसे प्रति वर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका को 40 पैसे प्रति वर्जन, टेरेर तीलियं और वस्त्रों के लिए 10 पैसे प्रति वर्ग गज और कनाडा को ऊनी वस्त्रों के लिए 10 पैसे प्रति वर्ग गज होगी ।

(5) निर्यातकों को 30-6-1987 को उपर्युक्त 5(4) में 50 पर प्रतिशत की दर पर अपनी उपर्युक्त हकदारी को अर्पणित करने का विकल्प दिया जाएगा ।

(6) यदि उपयोग 30 सितम्बर 1987 से पहले 75 प्रतिशत से कम रहता है तो निर्यातक को पैरा 5(4) में विशिष्टकृत दर से दुगुने दर पर निष्पादन बाण्ड को निष्पादन के द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 तक पोतलदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा ।

(7) हस्तान्तरण :—(क) 30-9-1987 तक किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपनी हकदारी में किसी भी हिस्से का हस्तांतरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा ।

(ख) हस्तांतरित मात्रा इस हस्तांतरि के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में मात्रा का लदान करता है ।

(ग) हस्तांतरि के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तांतरक के पास हकदारी के लिए लागू हैं ।

(घ) एक निर्यातक जो पूर्ण रू या आंशिक रूप से किसी विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त करता है तो वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी को हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) विशेष/विशेष श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण उस निर्यातक के लिए अनुमेष नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" संबिधा आरक्षण कोटा हो ।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संबिधा आरक्षण पद्धति—

(1) पहले आए सो पहले पाए संबिधा आरक्षण आधार पर आवंटन के लिए निर्यातक को आवेदन पत्र के साथ यदि आवंटन कि.घा. में है तो 1 रुपया प्रति कि. घा. की दर पर यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों के लिए फालों के लिए 12 पैसे प्रति वर्जन, यू. एस. ए. के लिए टेरी तीलियं के लिए 24 पैसे प्रति वर्जन और वस्त्रों के लिए 5 पैसे प्रति वर्ग गज और कनाडा के लिए ऊनी वस्त्रों के लिए 5 पैसे वर्ग मीटर की दर पर परिकल्पित बैंक गारंटी द्वारा समर्थित निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

(2) उपर्युक्त बाण्डका 6(1) में विनिर्दिष्ट दुगुनी दरों पर निष्पादन बाण्ड भेज कर निर्यातक अगले आवंटन अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है बशर्तों की उत्तरे 30 जून 1987 तक अपनी हकदारी का 75 प्रतिशत हिस्सा उपयोग कर लिया है ।

(3) यदि किसी निश्चित दिन किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए आवेदित कुल मात्रा उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो आवंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा ।

7. पहले आए सो पहले पाए तैयार मास पद्धति :—(1) पहले आए सो पहले पाए तैयार मास के आधार पर मात्रा के आवंटन के मामले में निर्यातक के आवेदन-पत्र के साथ पोतलदान बिल, वस्त्र समिति निरीक्षण प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो ए आर 4 या ए आर 5/ए आर 3-अवत और 50 पैसे प्रति कि. घा. की दर पर परिकल्पित अर्जित धन निक्षेप के लिए बैंक प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वास्तविक पोतलदान प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जब्त कर लिया जाएगा ।

(2) यदि किसी विशेष दिन आवेदित कुल मात्रा किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा से कम है तो आवंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा ।

8. प्रमाणीकरण/पोतलदान :—आर्बंटन की सभी तीनों पद्धतियों के अर्पणित टैक्सप्रोसिल द्वारा प्रमाणीकरण, किसी भी मामले में प्रमाणीकरण की तारीख से 21 पूरे दिन की अवधि के लिए पोतलदान के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि कोई भी प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर 1987 के बाद वैध नहीं होगा ।

9. धीमी रफ्तार की मर्दे :- वस्त्र आयुक्त भूतकालीन नियमितों और वर्तमान पद्धति के आधार पर धीमी रफ्तार वाली मर्दों को अभिजात करेगा और उनकी सूची की घोषणा करेगा । ऐसी मर्दे निम्नलिखित रिषायतों के लिए पाव होगी :-

- (क) निष्पादन गारंटी के मुद्दे सुरक्षा संबंधी प्रावधान उन मर्द गति वाली मर्दों के मामले में हैं जो कि इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिजात हैं, भूतकालीन नियमितों और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग कर दी जाएगी ।
- (ख) मर्दगति वाली मर्दों की पहचान के लिए धावेवक की बैंक गारंटी अथवा नकद निक्षेप के बिना वस्त्र संबंधित समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बाण्ड ही भेजा जाएगा ।

10. पेशगी धनराशि का निक्षेप/बैंक गारंटी और उनकी जल्दी :- जो नियमितक पक्षों निष्पादन हकदारी के अर्थात् उसको आबंटित नियमित हकदारी तथा किसी विशेष नियमित हकदारी अधि में पहले भाग से पड़े पाए संविदा आरक्षण उसे आबंटित हकदारी कोटे के 90 प्रतिशत तक निष्पादन करता है तो उसे जमाने का भुगतान नहीं करता होगा । जो नियमितक 75 प्रतिशत तक किन्तु 90 प्रतिशत से कम नियमित करता है, उसे भी अनुपात के हिसाब से जमाना देना होगा । यदि नियमित हकदारी का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो नियमितक अपने पूरे निष्पादन बाण्ड जम्ब कराने के लिए उत्तरदायी होगा । जब भी ऐसा हो यह अनिवार्य बाण्डता के अर्धीन लागू होगा ।

(2) समय वृद्धि के लिए धावेवक-पत्र समबद्ध अधि के एक मास के भीतर दाखिल किए जाएंगे ।

(3) इस नीति के अनुसार जिन नियमितकों को नियमित का आबंटन किया गया है किन्तु जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, ध्विष्य में वे आबंटन के द्रव्योय साबित होंगे और उन पर बिना किसी पक्षगत के उस संबंध में द्रव्य बार्वाई की जा सकती है ।

11. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जम्ब करने के विषय अधीन :- आबंटित नियमित हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जम्ब करने के विषय नियमितकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए केवल निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी । सूती वस्त्र नियमित संबंधित परिषद् द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जम्ब किए जाने पर संबंध नियमितक ऐसे जम्बीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त बम्बई को इसके विषय अधीन कर तकना है । वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे । यदि किसी मामले में नियमितक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधीन कर सकता है । दूसरी अधीन वस्त्र विभाग को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा गठित की गयी प्रचीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

12. नियमित हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण :- वस्त्र आयुक्त, बम्बई नियमित हकदार के आबंटन से संबंधित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के अधिकार को जारी रखेगा । एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और संबंधित नियमित संबंधित परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, वे समय-समय पर नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में विभिन्नता होने वाले मामलों में वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

13. सोमागुल्क द्वारा निकासी :- क. नियंत्रण के अधीन उत्पाद पोतलवान की अनुमति सोमागुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलवान के पत्तों पर सूती वस्त्र नियमित संबंधित परिषद् या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निगम द्वारा जारी किए गए अलग-अलग मास परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन जिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी ।

ख. हथकरघा उत्पाद :- जहाँ तक नियमित मर्दों के संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/सैयार वस्तुओं के नियमित का संबंध है, वहाँ सोमागुल्क द्वारा पोतलवान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कंबोयन प्रपत्र के भाग-2 में निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी ।

ग. भारतीय मर्द के लिए क्रियाविधि :- उदा भारतीय मर्दों के बारे में जो कि डेड भारतीय परंपरागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, यू. एन. ए. कानार्ड, आस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा और नार्वे का नियमित के लिए पोतलवान सोमागुल्क द्वारा निकास आयुक्त (इन्सुलिन) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुमत किया जाएगा ।

14 (ग). निमित प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और शीमा :- संगत क्रियशी समन्वय के अधीन निम्नलिखित क्रियशी प्रमाणपत्र सूती पत्र नियमित संबंधित परिषद् या उनके नाम में क्रियशी प्राधिकृत निमित अध्व परिषद् द्वारा जारी किए जाएंगे :-

(1) ई. टी. सी. :- (क) बुने हुए पावरलूम और मिन नियमित मूल को पोगाहें जो नियंत्रण के अधीन हैं, के लिए नियमित प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र ।

(ख) बुने हुए/पावरलूम/मिन नियमित मूल को पोगाहें जो नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, के लिए उद्गम प्रमाणपत्र ।

(2) आस्ट्रिया :- नियंत्रण या निगरानी जो नार्वे के अधीन सूती पावरलूम/मिन नियमित योजनाओं के लिए नियमित प्रमाणपत्र ।

(3) कनाडा :- बुने हुए पावरलूम और मिन नियमित मूल को पोगाहें जो नियंत्रण के अधीन हैं केवल 500 या इतने कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए नियमित-प्रमाणपत्र ।

(4) यू. एन. ए. :- (क) यू. एन. डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की मिन नियमित/पावरलूम योजनाओं/बुने हुए वस्त्रों के लिए शीमा ।

(ख) यू. एन. डालर 250 या इतने कम मूल्य के परेषण की योजनाओं/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाणपत्र ।

(5) स्वीडन :- सभी मिन नियमित/पावरलूम/इन्सुलिन/बुनी हुई क्रियशीमा से बुने हुए मात्रिक उद्गम के अधीन नियमित प्रमाणपत्र ।

(6) नार्वे :- शीमा 7 के अर्थात् मिन नियमित और शक्ति जालित करने के ब्रेड लीनन के संबंध में नियमित प्रमाणपत्र/उद्गम का प्रमाणपत्र ।

(ख) हथकरघा छूट प्रमाणपत्र :- नियमित मर्दों से संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/सैयार वस्तुओं के कनाडा को नियमित, सूती वस्त्र हथकरघा वस्त्र/सैयार वस्तुओं का आस्ट्रिया को नियमित सभी हथकरघा वस्त्र और सैयार वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राज्यों तथा यू. एन. ए. और ब्रेड लीनन को नार्वे को नियमित के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्वितीय समन्वय में यथा-निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

15. पूर्ण सूचना दिए बिना पहने के किसी भी प्रावधान का गंभीरन करने के लिए मरकौर अधिकार रखती है ।

16. संबंधित नियमित संबंधित परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और निकास आयुक्त (इन्सुलिन) के कार्यालयों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :-

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,  
म्यू सी. जी. ओ. बिल्डिंग,

न्यू मैरीन लाइन्स,  
पोस्ट बाक्स नं. 11500, बम्बई-400020

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,  
इंजीनियरिंग सेन्टर, 5वीं मंजिल,  
9-मैथ्यू रोड, बम्बई-400004
3. सिल्क और रेयान टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद,  
रेवम भवन, बीर नारीमन रोड,  
बम्बई-400020।
4. ऊन और ऊन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, 612/711,  
अणुांक इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
5. कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद, हुकान नं. व-115,  
सेक्टर-18, पोस्ट आफिस नोएडा जिला-गजियाबाद।
6. विकास प्रायुक्त (इंस्टीट्यूट), वीस्ट ब्लॉक,  
7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022।
7. वस्त्र समिति, "क्रिस्टल" 79-आ. एनो चौक रोड,  
बर्ली, बम्बई-400018

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

### EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 19-ETC(PN)/86

New Delhi, the 6th October, 1986

**Subject :—**Scheme of exports under OGL-3 of certain fabrics and/or made-up items made from cotton, wool and man-made fibres, to USA, European Economic Community Member States, Canada, Austria, Finland, Sweden and Norway from 1-1-1987 to 31-12-1987.

F. No. 2/65/85/E-I.—This scheme relates to the exports of certain fabrics and/or made-up items of cotton, wool and man-made fibres to USA, European Economic Community Member-States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benclux, U.K. Ireland, Denmark, Greece, Spain and Portugal), Austria, Canada, Finland, Sweden and Norway for the period 1-1-1987 to 31-12-1987.

#### 2. Agencies for the Administration of the Scheme

2(i) Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups for which export entitlement allocation will be done by the Wool & Woollen Export Promotion Council (W&WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council Lists of categories of the Textile products covered under the scheme are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool & Woollen Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the scheme.

2(ii) Export Entitlements will be allotted only to exporters registered with the Competent Registering Authorities.

3. Systems and quantum of allotment and divisions of the allotment year.

There will be three systems of allocation of quantity for export :—

3 (i) 40 per cent of the annual level will be allocated on the basis of past performance, 40 per cent on the basis of First-come, First-served (FCFS) Contract Reservation and 20 per cent on FCFS Ready-goods basis.

3 (ii) In the case of past performance system, there will be a single period of allocation from 1-1-1987 to 30-9-1987. For FCFS Contract Reservation system and FCFS readygood system, the year will be divided into three four monthly periods i.e. 1-1-1987 to 30-4-1987, 1-5-1987 to 31-8-1987 and 1-9-1987 to 31-12-1987.

3 (iii) 50 per cent of the quantity available under the system of FCFS Contract Reservation and FCFS Readygoods will be allocated for shipment during the first period January|April, 1987, 25 per cent for shipment during the second period May|August, 1987, and the remaining 25 per cent for shipment during the third period, September|December, 1987. The above periods and/or systemwise ratios may, however, be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

#### 4. Reservation for segments.

Wherever export entitlements for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Councils keeping in view the past pattern and prevailing trends.

#### 5. Past Performance Entitlement System.

5 (i) Agency for determining entitlements.—The Agency for calculation of the entitlement under the past performance system in respect of each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL). The Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work of the TEXPROCIL.

5 (ii) Base Period and Ceiling.—The entitlement shall be determined pro-rata for each country| category combination on the basis of the average of exports during 1984, 1985 and January|June, 1986 for each exporter. The allotment will be made on pro-rata basis. No exporter shall, however, be entitled to more than his annual average exports in the base period in each category|country.

5 (iii) Performance bond.—The exporters qualifying for past performance entitlement will be allowed to utilise their entitlement without executing performance bond upto 31-3-1987.

5 (iv) The exporters will be given the option to surrender the unutilised entitlements by 31-3-1987 or retain such quantity as they may desire by giving performance bond backed either by Bank Guarantee or cash deposit on or before 31st March, 1987, at the rate of Re. 1 per kg. where the unit of allotment is in terms of kgs., 24 paise per dozen for handkerchiefs, to EEC countries, 48 paise per dozen for terry towels and 10 paise per sq. yard for fabrics to USA and 10 paise per Sq. metre for woollen worsted fabrics to Canada.

5 (v) Exporters will be given an option to surrender their unutilised entitlements at 50 per cent of the rates at 5 (iv) above as on 30-6-1987.

5 (vi) Where the utilisation is not less than 75 per cent before 30th September, 1987 the exporter will be given an option to seek extension for shipment upto 31st December, 1987, by executing a performance bond at double the rates specified in paragraph 5(iv).

5 (vii) Transferability.—Past Performance Entitlement shall be transferable subject to the following conditions.

- (a) An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other registered exporter at any time upto 30-9-1987.
- (b) The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.
- (c) The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferee.
- (d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country/category, either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country/category.
- (e) Transfer of Past Performance Entitlement in a particular country/category shall not be allowed to the exporters who have FCFS contract reservation quota in the same category/Country.

#### 6. FCFS Contract Reservation System

6 (i) For allotment on FCFS Contract Reservation basis, the exporter will have to submit alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee or by cash deposit calculated at the rate of Re. 1/- per kg. where allotment is in kgs., 12 paise per dozen for handkerchiefs to EEC, 24 paise per dozen for terry towels, 5 paise per Sq. yard for fabrics to USA and 5 paise per Sq. meter for woollen worsted fabrics to Canada.

6 (ii) The exporter may seek extension for the next allotment period by executing performance bond at double the rates specified in para 6(i) above, provided he has utilised not less than 75 per cent of his entitlement by 30th June, 1987.

6 (iii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country/category, the allotment will be made on high price basis.

#### 7. FCFS Readygoods System

7 (i) Allocation of quantity on the basis of FCFS Readygoods will be made only against the goods which are physically ready for shipment. The exporter will have to submit along with the application, shipping documents, the Textiles Committee's Inspection Certificate, AR4 or AR5/AR3 forms and a cheque towards earnest money deposit calculated at the rate of 50 paise per kg., which shall be forfeited if proof of actual shipment is not produced within the prescribed time limit.

7 (ii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country/category, the allotment will be made on high price basis.

#### 8. Certification|Shipment

Certification by Texprocil under all the three systems of allotment will be valid for shipment for a period of 21 clear days from the date of certification subject to the condition that no certificate shall be valid beyond 31st December, 1987 in any case.

#### 9. Slow Moving Items.

The Textile Commissioner will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends. Such items will be eligible for the following relaxations :

- (a) The provisions regarding security against performance guarantee would be dispensed with in the case of slow moving items, specially identified for this purpose, by the Textile Commissioner on the basis of past exports and prevailing trends.
- (b) For the identified slow moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by Texprocil without any Bank guarantee or cash deposit.

#### 10 Earnest Money Deposit|Bank Guarantee & forfeiture thereof.

10 (i) An exporter, who performs not less than 90 per cent of the export entitlements allotted to him under post performance entitlement and FCFS Contract Reservation Systems in a particular export entitlement period will not be liable to forfeiture of performance bond. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will have to pay proportionate forfeiture. If the export entitlement utilisation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of his performance bond in full. This will be subject to force majeure conditions wherever these arise.

10 (ii) Application for extension shall be filed within one month of the relevant period.

10 (iii) Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

11. Appeal against forfeiture of EMD's|Bank Guarantees:

For the purpose of giving consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMD's|Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD's|Bank Guarantees by the Texprocil, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will lie with Ministry of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

12. Supervision of allocation of export entitlements:

The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlement. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

13. Clearance by Customs :

A. Products under restrain :

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement of the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom product—

In so far as exports of all handloom fabrics|made-ups, corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

C. Made-ups falling under India Items—

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Canada and Norway on the basis of appropriate certificate issued

by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

14(A). Export Certificate, Certificate of origin and Visa:

The following certification, required under the relevant Bilateral Textile Agreements, will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

(i) EEC :

- (a) Export Certificate and certificate of origin for all restrained items of powerloom|mill-made|knitted origin.
- (b) Certificate of origin for non-restrained items of powerloom|millmade|knitted origin.

(ii) AUSTRIA :

Export Certificates for fabrics|made-ups of powerloom|millmade origin subject to restraint or surveillance.

(iii) CANADA :

Export certificate of fabrics and made-ups of mill-made|powerloom|knitted origin which are subject to restraint except for consignments valued at less than Canadian \$ 500.

(iv) USA:

- (a) Visa for all millmade|powerloom fabrics and made-ups consignments valued above US \$250|.-.
- (b) Exempt certificate for consignments valued at US \$250|.- or less.

(v) SWEDEN :

Export certificate for all made-ups of mill-made|powerloom|handloom|knitted|crocheted origin under quantitative restraint.

(vi) NORWAY :

Export certificate|Certificate of Origin in respect of bed linen of powerloom and mill-made under category 7.

14(B). Handloom exempt certificate:

In the case of export of all handloom fabrics|made-ups corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Textile Fabrics|Made-ups to Austria, all handloom and fabrics and made-ups to EEC and the USA and handloom bed-linen to Norway the Textiles Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

15. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

16. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textiles Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. Office of the Textile Commissioner,  
New C. G. O. Building,  
New Marine Lines,  
Post Box No. 11500,  
Bombay-400020.
2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,  
Engineering Centre,  
5th Floor,  
9th-Mathew Road,  
Bombay-400004.
3. Silk & Rayon Textiles Export Promotion Council,  
Resham Bhavan,  
Veer Nariman Road,  
Bombay-400020.

4. The Wool & Woollen Export Promotion Council,  
612/714, Ashoka Estate,  
24, Barakhamba Road,  
New Delhi-110001.
5. Carpet Export Promotion Council,  
Shop No. B-115,  
Sector-XVIII,  
Post Office Noida,  
Distt. Ghaziabad.
6. Development Commissioner (Handicrafts),  
West Block,  
VII, R. K. Puram,  
New Delhi-110022.
7. Textiles Committee,  
"Crystal",  
79-Dr. Annie Besant Road,  
Worli,  
Bombay-400018.

R. L. MISRA, Chief Controller of  
Imports and Exports

